न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2016 निग 4993-PBR/2016

1— सिद्धु पिता दुला, जाति बागरी, आयु—75 वर्ष, धंधा खेती,

2— मांगीलाल पिता दुला, जाति बागरी आयु—70 वर्ष, धंधा खेती,

3— वरदीराम पिता दुला, जाति बागरी आयु—60 वर्ष, धंधा खेती,

4— मदन पिता पिता दुला, जाति बागरी आयु—50 वर्ष, धंधा खेती,

5— थावर पिता पिता दुला, जाति बागरी आयु—45 वर्ष, धंधा खेती,

सभी निवासीगण—ग्राम गुरला तह. नागदा जिला उज्जैन —— आवेदकगण

श्री सुनील सिंह राठौर, अधि. द्वारा आज दि. 17-10-16 को प्रस्तुत

17-10-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

984 / 17-10-16

17-10-16

विरूद्ध

1— पेमा पिता भुवान, जाति बागरी, निवासी—ग्राम गुरला तह. नागदा जिला उज्जैन म.प्र. ——अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय के प्रकरण क्रं. 712/15—16 अपील के आदेश दिनांक 26/09/2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता के अन्तर्गत अन्दर अवधि प्रस्तुत है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3595–पीबीआर/2016 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.8.2017	शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर मौके पर सोयाबीन की फसल बोई गई है जिसे वह काट नहीं पा रहा है । अतः प्रकरण में स्थगन दिया जाये । अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में यह निगरानी अपर आयुक्त के द्वारा उनके समक्ष लंबित अपील में स्थगन नहीं दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत की गई है । बदली हुई परिस्थितियों में आवेदक अपीलीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों की जानकारी प्रस्तुत कर पुनः स्थगन की मॉग कर सकते हैं । उक्त निष्कर्ष के साथ इस निगरानी को इस न्यायालय में आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	